न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या 91/2020

उनवान
रूकमणी वगै0 बनाम शरबती वगै0

1. रूकमणी पत्नी स्व0 रिशाल सिंह उम्र 85 वर्ष जाति जाट निवासी प्रतापपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
2. अविनाश पुत्र स्व0 रिशाल सिंह उम्र 85 वर्ष जाति जाट निवासी प्रतापपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
3. विरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रिशाल सिंह उम्र 85 वर्ष जाति जाट निवासी प्रतापपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
4. जगदीश चन्द्र पुत्र स्व0 रिशाल सिंह उम्र 85 वर्ष जाति जाट निवासी प्रतापपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू ।

–वादीगण

बनाम

1. शरबती पत्नी स्व0 महादाराम जाति जाट निवासी प्रतापपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैंड हौल्डर तहसीलदार तहसील व जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. श्री उम्मेद सिंह भाम्बू :– वादीगण की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी :– राज्य सरकार की ओर से।

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 01.09.2021

पत्रावली के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम प्रतापपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू में हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 1.06 है0, खसरा नम्बर 193 रकबा 0.76 है0, व खसरा नम्बर 194 रकबा 1.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.03 है0 है जिसके गत खसरा नम्बर 38 रकबा 7 बीघा 16 विश्वा है जिसके हाल खसरा नम्बर 139, 193 व 194 बने हैं। उपरोक्त वर्णित धारा 1 का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नम्बर 1 शरबती का पति महादाराम था। उक्त महादाराम को घर जरूरत के लिए रूपयों की आवश्यकता थी तो उक्त महादाराम ने अपनी खातेदारी काश्तकारी की जमीन गत खसरा नम्बर 38 में से दिनांक 21 जून 1978 को जरिये रजिस्ट्रड विक्रय पत्र रिशाल सिंह के हक में करवाकर कब्जा काश्त रिशाल सिंह का करवा दिया। दिनांक 10.07.1978 को गत खसरा नम्बर 38 तादादी 7 बीघा 16 बिश्वा पुख्ता में से पश्चिम की तरफ का अपना हक हिस्सा वादीगण के पिता रिसाल सिंह को विक्रय कर दिया तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रिसाल सिंह के हक में करवा दिया तथा उक्त जमीन पर

उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

कब्जा काश्त रिशाल सिंह का करवा दिया। रिसाल सिंह ने उक्त विक्रय पत्र पंजीयन करवाकर नामान्तकरण भरवाने के लिए पटवारी को दे दिये। रिशाल सिंह कम पढा लिखा आदमी था तथा राजस्व रिकार्ड के बारे में अनभिज्ञ था प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी राजस्व रिकार्ड अधिकारियों ने उक्त भूमि का अंतकाल वादीगण के पिता रिसाल सिंह के हक में तस्दीक नहीं किया और राजस्व रिकार्ड पूर्व की भांति महादाराम व तत्पश्चात उसकी पत्नी शरबती के नाम कायम रखा। वादीगण को उक्त भूमि रिशाल सिंह से जरिये उतराधिकार प्राप्त हुई है। रिसाल सिंह उक्त वर्णित भूमि पंजीकृत विक्रय विलेखों के जरिये काश्तकार थे इसलिये उपर वर्णित वादग्रस्त भूमि का वादीगण को खातेदार एवं काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जाकर उपर धारा 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 1.06 है., खसरा नम्बर 193 रकबा 0.76 है. व खसरा नम्बर 194 रकबा 1.21 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.03 है. व गत खसरा नम्बर 38 रकबा 7 बीघा 17 विश्वा वाके राजस्व ग्राम प्रतापपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू का नामान्तकरण विक्रय पत्रों के अनुसार वादीगण के हक में दर्ज किया जावे तदअनुसार राजस्व रिकार्ड में शरबती पत्नी महादाराम का नाम विलोपित कर वादीगण का नाम व हिस्सा दर्ज किया जावे। वादीगण को उपर धारा 1 में वर्णित भूमि का हिस्सानुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबावदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 शरबती पत्नी स्व0 महादाराम द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है तथा वादी वादीगण स्वीकार करने बाबत निवेदन किया है। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार झुन्झुनू की तरफ से राजकीय अभिभाषक द्वारा जबाव दावा के रूप में आदेशिका पर अंकित किया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार व विक्रय पत्र के अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जा सकता हो व राजस्व हानि ना हो तो कोई एतराज नहीं है। हमने वाद पत्र में अंकित तथ्यों, जबाव दावा में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। वादीगण का कथन है कि गत खसरा नम्बर 38 रकबा 7 बीघा 16 विश्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 139, 193 व 194 कुल किता 3 कुल रकबा 3.03 है. बने हैं। उक्त वर्णित धारा 1 का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नम्बर 1 शरबती का पति महादाराम था जिसने अपनी खातेदारी भूमि गत खसरा नम्बर 38 में से दिनांक 21 जून 1978 को जरिये विक्रय पत्र 1 बीघा 16 बिश्वा व विक्रय पत्र दिनांक 10.07.1978 द्वारा जमीन का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से रिसाल सिंह के हक में करवाकर कब्जा काश्त करवा दिया जिस पर कब्जा वादीगण के पिता व विधिवारियों का चला आ रहा है, परन्तु राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त तथ्यों से प्रतिवादी संख्या 1 के पति के द्वारा वादीगण के पिता रिशाल सिंह को प्रश्नगत भूमि विक्रय करना

उप खण्ड अधिकारी
चिरावा (राज.)

पूर्णतया सिद्ध है। अतः उपरोक्त तथ्यों, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव बहस वकील पक्षकारान के मध्यनजर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि स्थित ग्राम प्रतापपुरा तहत तहसील झुन्झुनू के गत खसरा नम्बर 38 रकबा 7 बीघा 16 बिश्वा के हाल खसरा नम्बर 139, 193, 194 कुल किता 3 कुल रकबा 3.03 है. बने। खसरा नम्बर 193 व 194 में से वादीगण संख्या 1 लगायत 4 को 3 बीघा 2 बिश्वा 8 बिश्वाशीं मैट्रिक पद्धती के अनुसार 0.7891 है0 बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबंदी अंकन बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें । खर्चा पक्षकारान अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 01.09.2021 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू